दिनाँक: 03 अप्रैल, 2024 **थाना: मूसाझाग**

थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा हत्या की घटना मे नामजद हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी उझानी बदायूँ के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मूसाझाग व टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुलडिया तिराहे के पास से अभियुक्त जगदीश पुत्र पीतम निवासी ग्राम किसरूआ थाना मूसाझाग जिला बदायूँ को आज दिनांक 03.04.2024 समय 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल फावडे का लकडी का डंडा / बैंटा दो भागो मे टूटा हुआ बरामद किया गया। जिससे मृतक डालचन्द्र उर्फ डल्लू की हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त जगदीश उपरोक्त को संबंधित मा0 न्यायालय बदायूँ के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.04.2024 को डाल चन्द्र उर्फ डल्लू पुत्र बदन सिंह निवासी ग्राम सैद आलमपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ़ हाल निवासी प्रताप नगर हर्ष बिहार पूर्वी दिल्ली अपने तहेरे भाई अजय की ससुराल ग्राम किसरूआ में जगदीश पुत्र पीतम के घर आया हुआ था। जिसका जगदीश की लडकी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते जगदीश, मृतक डालचन्द्र उर्फ डल्लू से रंजिश मानता था। दिनांक 01.04.2024 को जगदीश द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर डालचन्द्र उर्फ डल्लू पुत्र बदन सिंह की लाठी डंडो से बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता बदन सिंह पुत्र रामस्वरूप नि0 सैद आलमपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 02.04.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 302/504 भादवि बनाम जगदीश आदि 04 नफर नि0गण ग्राम किसरूआ थाना मूसाझाग जिला बदायूँ पंजीकृत हुआ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त जगदीश ने पूछताछ में बताया कि मैने अपनी बड़ी लड़की की शादी वर्ष 2020 ग्राम सैद आलमपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ मे की थी, उसका चचेरा देवर डालचन्द्र उर्फ डल्लू पुत्र बदन सिंह का हमारा रिश्तेदार होने के कारण हमारे घर आना जाना था इसी बीच वर्ष 2023 में डालचन्द्र उर्फ डल्लू मेरी लङकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था कोर्ट से मेरी लड़की मुझे मिल गई थी उसके बावजूद भी डालचन्द्र उर्फ डल्लू हमारे गांव में आता जाता रहा। इसके आने-जाने से हमारे परिवार की गांव में बहुत बेइजत्ती होती थी और गांव के लोग हमे तरह-तरह के ताने देते थे। हम इसके बार-बार गांव आने व गांव के लोगों के तानो से तंग आ गये थे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँच रही थी तो मेरे भाई रामवीर उर्फ गौतम व जगपाल ने मुझसे

कहा कि डालचन्द्र उर्फ डल्लू को बुलाकर इसका खेल खत्म कर दो हमारी काफी बेइज्जती हो रही है इस पर हमने डालचन्द्र उर्फ डल्लू को दिनांक 31.03.2024 को शादी का बहाना करके अपने घर बुला लिया था डालचन्द्र उर्फ डल्लू अपने बहनोई राज कुमार के साथ आया था हम दिनांक 01.04.2024 को डालचन्द्र उर्फ डल्लू व उसके बहनोई राजकुमार को जगपाल के घर ले गये, जैसे ही हमने डालचन्द्र उर्फ डल्लू को मारना पीटना शुरु किया तो उसका बहनोई राज कुमार भाग गया था, हमने अपने आत्म सम्मान के लिये डालचन्द्र उर्फ डल्लू के साथ डन्डों से मारपीट की थी हम लोग गुस्से में थे मारपीट ज्यादा हो गयी जिससे उसकी मौत हो गयी । साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी मुझे माफ कर दो जो सही बात थी मैने आपको बता दी । जिस फावड़े के बैंटे से मैने डालचन्द्र उर्फ डल्लू के साथ मारपीट की थी वो मारपीट करते समय टूट गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जगदीश पुत्र पीतम निवासी ग्राम किसरूआ थाना मूसाझाग जिला बदायूँ ।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- गुलडिया तिराहे के पास से दिनांक 03.04.2024

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 090/2024 धारा 302/504 भादवि थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ

बरामदगी का विवरण-

1. हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल फावडे का लकडी का बैंटा / डंडा टूटा हुआ दो भागो मे ।

अपराध करने का तरीका- जगदीश द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर डालचन्द्र उर्फ डल्लू पुत्र बदन सिंह की लाठी डंडो से बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर देना

सोशल मीडिया सेल, बदायूं ।